न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मंडावर जिला दौसा

उनवान बाल्याराम बनाम राज. सरकार
मुकदमा नम्बर 01/22

निर्णय

दिनांक 13.08.2022

आज पत्रावली तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थी व तहसीलदार बैजूपाडा स्वयं उपस्थित आये। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के मद संख्या 01 में वर्णित आराजी खाता संख्या नया 55 पुराना 53 खसरा नम्बर 137 रकबा 1.64 हैक्टेयर एवं भूमि खतौनी संख्या नई 56 पुरानी 53 के खसरा नम्बर 136 , 228, 229, 947/947 कुल किता 04 रकबा 0.81 हैक्टेयर वाके ग्राम रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी सा0 देह खातेदार है। प्रार्थी के नाम से चली आ रही उक्त खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम विरासत का नामाकरण खोलते समय सहवन से घर में बोलता नाम काल्या पुत्र रूग्गा दर्ज कर दिया। जो गलत है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड तथा भूमि खतौनी संख्या नई 75 पुरानी 74 आदि में सही नाम बाल्या पुत्र रूग्गा दर्ज है। जो सही है। प्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि के शुद्धिकरण हेतु निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी उक्त भूमि में सा0 देह खातेदार है । उक्त भूमि खातेदारी की भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा सहवन से काल्या पुत्र रूग्गा दर्ज कर दिया जो कि गलत है । जो कि एक लिपिकिय त्रुटि है। धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में हुई नाम अशुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है तथा तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार काल्या पुत्र रूग्गा व जाति सैनी बाल्या पुत्र रूग्गा नाम के एक ही व्यक्ति है एवं राजस्व रिकॉर्ड में काल्या पुत्र रूग्गा के स्थान पर बाल्या पुत्र रूग्गा किये जाने की अभिशंषा की । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी खाता संख्या नया 55 पुराना 53 खसरा नम्बर 137 रकबा 1.64 हैक्टेयर एवं भूमि खतौनी संख्या नई 56 पुरानी 53 के खसरा नम्बर 136 , 228, 229, 947/947 कुल किता 04 रकबा 0.81 हैक्टेयर वाके ग्राम रानापाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में काल्या पुत्र रूग्गा के स्थान पर बाल्या पुत्र रूग्गा दुरस्त किया जावे। तहसीलदार बैजूपाडा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की एक प्रति दौसा केन्द्रिय सहकारी बैंक लि. शाखा बांदीकुई को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य (राजस्व अधिकारी)
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)

(अध्यक्ष)
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)